प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 26 अक्टूबर 2016

विषयःसामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल्स प्रेषण में विसंगतियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों के सही ढंग से रख-रखाव सुनिश्चित कराने हेतु सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल्स प्रेषण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, किन्तु कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कोषागारों से प्राप्त होने वाले सामान्य भविष्य निधि शेड्यूल्स में कई विसंगतियॉ निहित रहती हैं, यथा-कतिपय शेड्यूल्स का संलग्न न होना, शेड्यूल्स का अपठनीय होना, इन पर अभिदाता का नाम व लेखाशीर्षक अंकित न होना या त्रुटिपूर्ण होना, चतुर्थ श्रेणी एवं नई पेंशन स्कीम से आच्छादित अभिदाताओं का अंशदान तृतीय श्रेणी में शामिल किया जाना आदि। उपर्युक्त कारणों से अभिदाताओं के जी0पी0एफ0 लेखें में प्रविष्टियॉ प्रायः लुप्त हो जाती हैं। यद्पि इस संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं किन्तु उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नहीं है।

1-संख्या-जी-2-1213/दस-2007-314/2007, दि0 16-8-2007
2-संख्या-जी-2-971/दस-2008-314/2007, दि0 02-7-2008
3-संख्या-जी-2-88/दस-2011-314/2007, दि0 09-02-2011

2- अतः इस संबंध में मुझे आपसे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों में समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सामान्य

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भविष्य निधि शेड्यूल्स को युक्तियुक्त रूप से महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या-10/2016 /जी-2-177(1)/दस-2016-314/2007 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।